तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.018	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुयी। वकील पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को सुना तथा प्रार्थना पत्र प्रतिवादी अन्तर्गत आदेश 9 नियम–13 सीपीसी का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकरान ने प्रार्थना पत्र एंव जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया। वकील प्रतिवादी / प्रार्थी ने दौराने बहस न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2008(2) पृ.सं.975 पेश की गयी। जो शामिल पत्रावली की गयी। प्रकरण में निर्णय दिनांक 29.05.2017 को अपास्त कर पुनः सुनवायी हेतु मूल वाद नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम–13 सीपीसी पेश किया है। प्रकरण संख्या–54 / 2016 उनवानी लड्डूलाल बनाम किशनगोपाल आदि में दिनांक 29.05.2017 को लोक अदालत केम्प पालडा में वादी संख्या–1 की उपस्थिति में किया गया है शेष वादीगण एंव प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए है। प्रकरण स्थायी निषेधाज्ञा का था। प्रकरण लोक अदालत में राजीनामा से निस्तारण नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण को सुनवायी का उचित असर प्रदान नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते है। प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त के अनुसार पक्षकारों को को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकरों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना उचित होगा। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम–13 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण संख्या–54 / 2016 उनवानी लड्डूलाल बनाम किशनगोपाल आदि में दिनांक 29.05.2017 को पारित एक तरफा आदेश को अपास्त किया जाकर पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जावे। पत्रावली मूल वाद में शामिल की जावे। (सी0एल0 शर्मा) आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी,टोंक उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	

Scanned by CamScanner